रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1975/पौष 24, 1896

No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1975/PAUSA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January 1975

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby nominates the undermentioned persons to be members of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No. G.S.R. 398(E), dated the 21st September, 1974 and directs that the following amendment shall be made in the said notification, namely:—

In the said notification, entry 13 shall be re-numbered as entry 15 thereof and before entry 15, as so re-numbered, the following entries shall be inserted, namely:—

"13. Shri K. L. Dubey, Member, Municipal Corporation, Jabalpur, *Member.*

14. Shri D. P. Chatterjea, Engineer-in-Chief and *ex-Officio* Secretary, Irrigation and Waterways Department, West Bengal, Calcutta. *Member*".

[No. Q. 15015/10/74-EPC]

S. CHAUDHURI, Jt. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1975

सं० का० नि० 8(अ).—जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 398 (ई) दिनांक 21 सितम्बर, 1974 द्वारा गठित जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य नामित करती है तथा यह निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किये जाएंगे, नामत:

उक्त अधिसूचना में इन्दराज 13 को बदल कर इन्दराज 15 कर दिया जाएगा और इस प्रकार बदले गये इन्दराज 15 से पूर्व, निम्नलिखित इन्दराज रखें जाएंगे, नामत: —

"13. श्री के० एल० दूबे, सदस्य, म्युनिस्पिल निगम, जबलपुर ।	सदस्य
14. श्री डी० पी० चटर्जी, प्रमुख इंजीनियर तथा पदेन सचिव, सिंचाई तथा जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।	सदस्य"

[सं० क्यू० 15015/10/74-ई०पी०सी०]

एस० चौधुरी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975